



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड ,बीकानेर राजस्थान

क्रमांक :F-4 ()/मगसविबी/सा.प्र./वि. निविदा /2017/ 3928


दिनांक : 31.05.17

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में वार्षिक दर संविदा के लिए अनुभवी, पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से अनुबंध निष्पादन कि तिथि से एक वर्ष के लिए मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि रू.	निविदा शुल्क रू
1.	स्टेशनरी आपूर्ति	6.00	12,000/-	200/-
2.	कैंटीन संचालन	5.00	10,000/-	200/-
3.	फोटोस्टेट एवं स्पाईरल बाइंडिंग कार्य	3.00	6,000/-	200/-
4.	फोटोस्टेट, स्पाईरल बाइंडिंग एवं इन्टरनेट कार्य (छात्र सुविधा केंद्र)	3.00	6,000/-	200/-
5.	वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी	3.00	6,000/-	200/-
6.	विभिन्न समारोहों हेतु टेंट व्यवस्था	8.00	16,000/-	200/-
7.	फ्लेक्स प्रिंटिंग व आपूर्ति	3.00	6,000/-	200/-
8.	जेनरेटर व्यवस्था	5.00	10,000/-	200/-
9.	खेल गणवेश (ट्रैक सूट , टी शर्ट, नै कर तथा सॉक्स) दर संविदा	7.50	15,000/-	200/-

नोट : 1. बिना धरोहर राशि, सशर्त, अपूर्ण निविदाएँ मान्य नहीं होंगी 2. प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग मोहरबंद निविदाएँ लिफाफे में जिस पर निविदा कार्य का नाम अंकित हो, धरोहर राशि मय निविदा शुल्क सहित 19.06.17 को मध्याह्न 2:00 बजे तक कुलसचिव कक्ष में जमा की जायेंगी एवं उसी दिन मध्याह्न 03:00 बजे निविदायें खोली जायेंगी 3. अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में निविदा प्राप्त कर खोली जायेगी 4. निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgsubikaner.ac.in एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है , उक्त निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं 5. डाक द्वारा निविदाएँ मान्य नहीं होंगी।


(प्रेम राम परमार)
कुलसचिव



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं- 0151-2212046, ईमेल एड्रेस- registrar@mgsbikaner.ac.in

निविदा प्रपत्र

कार्य का नाम - खेल गणवेश क्रय बाबत दर संविदा। निविदा क्रमांक 3928

निविदा शुल्क	200/- रु.	निविदा फार्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा कराने की अवधि	19/06/2017 मध्यान्ह 02:00 बजे तक
अनुमानित लागत	7,50,000/- रु.	निविदा खोलने की तिथि	19/06/2017: मध्यान्ह 03:00 बजे
धरोहर राशि	15,000/- रु.		

31/05/2017

1.(वस्तुओं का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिये निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता.....
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या.....(फोटो प्रति संलग्न करे)
4. किनको सम्बोधित किया गया.....
5. संदर्भ.....
6. निविदा शुल्क की राशिनकद रसीद.....एवं दिनांक.....
द्वारा रेखांकित पोस्टल ऑर्डर/ड्राफ्ट संख्या.....के द्वारा जमा करा दी गई है।
7. हम.....द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्यादिनांकमें वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर इनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।)
8. निम्नलिखित मदों की आपूर्ति के लिये दरें निम्न प्रकार से होगी तथा आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक सामग्री की दरें सूची अनुसार अंकित कर दी गई है।

क्र. सं.	वस्तु का नाम मय विशेष विवरण	दर (रूपये)	कीमत (उत्पादक शुल्क, काटिज पैकिंग आदि शामिल करते हुए) केन्द्रीय बिक्री कर, राजस्थान बिक्री कर, चुंगी कर यदि कोई हो इसमें से डिस्काउन्ट, छूट (रिबेट) को घटा शुद्ध मूल्य सहित
----------	-----------------------------	------------	---

संलग्न सूची के अनुसार

नोट:- निविदा में संलग्न सूची के अनुसार फर्म को ट्रेकसूट, टी-शर्ट, नेकर एवं सोक्स के नमूने प्रस्तुत करने होंगे। बिना नमूने के निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। संलग्न परिपत्र की सूची में दिए ब्रांड/किस्म/मार्का के सामने दर अंकित करनी होंगी।

9. प्रपत्र में दी गई दरें एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकेगा।
10. बैंक ड्राफ्ट संख्या.....जो(बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। नकद रसीद संख्या/चालान संख्या.....दिनांकरूपये.....के लिये बनाया राशि के पेटे में संलग्न किया जाता है।
11. निविदा प्रपत्र के साथ सभी प्रकार के नमूने संलग्न है।
12. पूर्व में किये गये विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है। (यदि हो तो प्राथमिकता दी जायेगी)
13. निविदा प्रपत्र के साथ विनिर्माता/डीलर आदि का प्रमाण पत्र संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

भाग (अ)			
समस्त खेलों की गणवेश (टी-शर्ट, नेकर एवं सोक्स) की दरें			
क्र. सं.	खेल का नाम	ब्रान्ड/किस्म/मार्का (उत्तम क्वालिटी)	कुल दर प्रति सैट (टी-शर्ट, नेकर एवं सोक्स) समस्त कर, वेट एवं छपाई सहित
1	Archery	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
2	Athletics	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
3	Badminton	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
4	Ball Badminton	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
5	BaseBall	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
6	Basket Ball	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
7	Boxing	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
8	Chess	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
9	Cricket	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
10	Cross Country	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
11	Cycling	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
12	Football	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
13	Gymnastic	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
14	Handball	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
15	Hockey	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
16	Judo	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर


17	Kabaddi	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
18	Kho-Kho	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
19	Net Ball	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
20	Pistol Shooting & .177 Air Rifle Peep Sight	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
21	SoftBall	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
22	Swimming	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
23	T.T.	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
24	Taekwondo	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
25	Tennis	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
26	VolleyBall	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
27	Weight, Power Lifting, & Best Physique	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
28	Wrestling	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	
29	Wushu	Shiv Naresh	
		Victa / Alpro	
		अन्य समकक्ष ब्रांड	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

भाग (ब) समस्त खेलों हेतु (ट्रेकसूट) की दरें		
ब्रांड/किस्म/मार्का (उत्तम क्वालिटी)	दर प्रति ट्रेकसूट समस्त कर, वेट एवं छपाई सहित	कपड़े का विवरण (Polly or Super-Polly)
Shiv Naresh		
Victa / Alpro		
अन्य समकक्ष ब्रांड		







निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

खेलकूद निविदा की विशेष शर्तें :-

1. दर का अनुमोदन किस्म एवं गुणवत्ता के आधार पर किया जावेगा।
2. भाग-(अ) में खेल के अनुसार अलग-अलग दरें निर्धारित प्रारूप अनुसार अंकित करनी होगी। अलग से अंकित दर स्वीकार्य नहीं होगी एवं बिना दरों के निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
3. निविदा के साथ फर्म को प्रत्येक खेल एवं ट्रेकसूट हेतु नमूने एवं ब्राण्ड प्रस्तुत करने होंगे। बिना नमूने के निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
4. निविदा दाता को खेल गणवेश/मार्का एवं दर संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही अंकित करने होंगे, अलग से दरें स्वीकार्य नहीं होंगी।
5. सामग्री की आपूर्ति फर्म को अन्तर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय टीम की रवानगी से पूर्व समय-समय पर आपूर्ति आदेश जारी होने के 02 दिवस में करनी होगी। परिवहन शुल्क अलग से देय नहीं होगा।
6. आपूर्त किए जाने वाले खेल गणवेश में भाग-अ (टी-शर्ट, नेकर, सोक्स) में सम्मिलित प्रति खेल की दर एवं भाग-ब (ट्रेकसूट) की कुल दर 1500/- रु से अधिक ना हों।
7. ट्रेकसूट एवं टी-शर्ट के फ्रन्ट में उपर के भाग पर विश्वविद्यालय का लोगो एवं ट्रेकसूट में पीठ पर विश्वविद्यालय का नाम अर्द्ध चन्द्राकार आकार में जिसका साईज 12"X12" हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में केमिकल कलर से अंकित करना होगा। टी-शर्ट पर खेल अनुसार Numbering अंकित करनी होगी। जिसका मूल्य अलग से स्वीकार्य नहीं होगा।
8. उक्त वार्षिक दर संविदा अनुमोदन तिथि से एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी जिसे आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।
9. विशेष परिस्थितियों में आपूर्ति अवधि पूर्ण होने से पूर्व फर्म द्वारा आवेदन करने पर विश्वविद्यालय द्वारा अवधि बढ़ायी/मनाही की जा सकती है।
10. आपूर्ति अवधि में विलम्ब के लिए जी एफ एण्ड ए आर के अन्तर्गत शास्ती आरोपित की जा सकेगी।
11. ट्रेकसूट में लगे कपड़े (Polly or Super-Polly) का विवरण उक्त सारणी के भाग (ब) में अंकित करना होगा।


खुली निविदा की सामान्य शर्तें :-


टिप्पणी: निविदादाताओं को चाहिए कि वे इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ लें और अपनी निविदाएं भेजते समय इन का कठोरता से पालन करें।


1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार समुचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद किया जाना आवश्यक है।
2. वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएं - निविदाएं केवल माल के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जानी चाहिए। अतः वे प्रारूप एस.आर.-11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. (अ) फर्म के गठन आदि में हुए किसी परिवर्तन की सूचना ठेकेदार द्वारा तुरन्त क्रय अधिकारी को दी जाएगी और ऐसा परिवर्तन फर्म आदि के पुनर्वर्ती सदस्य के ठेके के अधीन के दायित्व से मुक्त नहीं रहेगा। (ब) ठेकेदार द्वारा ठेके के संबंध में फर्म में तब तक कोई नया/नए भागीदार स्वीकार नहीं किया जाएगा/किए जायेंगे। जब तक कि वह/वे समस्त नियमों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हो और क्रय अधिकारी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न करा दें अभिस्वीकृति हेतु ठेकेदार की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जाएगा और उससे वे सभी आबद्ध होंगे और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।
4. बिक्री कर रजिस्ट्रीकरण - कोई भी डीलर जो उस राज्य में जहां उसका कारोबार स्थित है, प्रचलित बिक्री कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्याक वर्णित करना होगा। प्रति संलग्न करनी होगी।
5. निविदा प्रारूप स्याही से भरे जाएंगे तथा टंकित होंगे। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर और अंत में निविदा के समस्त निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।
6. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। गलतियों तथा लिप्त लेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई संशोधन हो तो उन्हें स्पष्ट रूप से किया जाए एवं उन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर किए जायें। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के घटक पृथक से वर्णित किए जाने चाहिए।
7. वर्णित की गई समस्त दरों पर रेल परिवहन निःशुल्क होनी चाहिए और उसमें चुंगी, केन्द्रीय राजस्थान बिक्री कर के सिवाय समस्त प्रासंगिक प्रभार सम्मिलित होने चाहिए, जिन्हें अलग से दर्शित किया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदान के मामलों में दरों में समस्त कर आदि सम्मिलित होने चाहिए और विश्वविद्यालय द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार सदत नहीं किया जाएगा और माल का परिदान क्रय अधिकारी के परिसर पर किया जाएगा।



8. i. दरों की तुलना राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान की उन फर्मों द्वारा नियमों के अधीन मूल्य अधिमानता की हकदार नहीं है, निविदात दरों की तुलना में राजस्थान बिक्री कर को घटक अपवर्जित कर दिया जाएगा और केन्द्रिय बिक्री कर का घटक सम्मिलित कर दिया जाएगा।
ii. राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में तुलना करते समय राजस्थान बिक्री कर का घटक सम्मिलित किया जाएगा।
9. **मूल अधिमानता**— मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योग द्वारा उत्पादितया विनिर्मित माल पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जाएगी।
10. **विधिमान्यता** — निविदाएं खोले जाने की तारीख से 90 दिवस की कालावधि हेतु विधि मान्य होगी।
11. यह मान लिया जाएगा कि अनुमोदित प्रदायक ने प्रदाय किए जाने वाले माल के संबंध में समस्त शर्तों विनिर्देशों, आकार, मेक और ड्राइंग्स आदि का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर लिया है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग या विनिर्देश ड्राइंग आदि के अर्थ के संबंध में कोई संदेह है तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रय अधिकारी को भेजेगा और स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
12. ठेकेदार किसी अन्य अभिकरण को अपना ठेका या उसका कोई महत्वपूर्ण भाग समनुदेशिक नहीं करेगा या उप पट्टे पर नहीं देगा।
13. **विनिर्देश** :—
- i. प्रदाय की गयी समस्त वस्तुएं निविदा प्रारूप में अभिकथित, विनिर्देश टेडमार्ग के अनुरूप होगी तथा कहीं वस्तुएँ आई.एस.आई. विनिर्देशों के अनुरूप होना अपेक्षित हो, वे वस्तुएं उन्हीं विनिर्देशों के अनुरूप होगी। उन पर ऐसा मार्क होना ही चाहिए।
- ii. तारांकित क्रमांक की वस्तुओं का प्रदाय इसके अतिरिक्त पूर्णतः अनुमोदित नमूनों के अनुरूप होगी तथा अन्य सामग्री के मामले में जिनका कोई मानक या अनुमोदित नमूना नहीं है, प्रदाय सर्वोत्तम क्वालिटी और विवरण का होगा। इस संबंध में कि प्रदायित वस्तुएँ विनिर्देशों के अनुरूप हैं तथा नमूनों के यदि कोई हो, के अनुसार हैं, क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा और निविदादाता पर आबद्ध कर होगा।
- iii. **वारंटी/गारंटी**— निविदादाता इस संबंध में गारंटी देगा कि क्रय किए जाने वाले माल/भण्डार/वस्तुओं के परिदान की तारीख सेदिन/माल की कालावधि हेतु माल/भण्डार/वस्तुएँ निविदिष्ट किए गए के अनुसार विवरण और क्वालिटी के अनुरूप बनी रहेगी और इस तथ्य के होते हुए भी कि क्रेता ने, उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं का निरीक्षण/तथा अनुमोदन कर लिया है यदि उपर्युक्त..... दिन/मास की कालावधि और क्वालिटी के अनुरूप नहीं हैं या ऐसी अवधारित की गयी है। (और उस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा) तो क्रेता उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं को या उसके ऐसे किसी भाग को जिसे उक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप न पाया गया है। अस्वीकृत करने का हकदार होगा। ऐसी स्वीकृति पर माल विक्रेता की जोखिम पर होगा और माल की अस्वीकृति आदि से संबंधित समस्त उपलब्ध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे करने को कहा जाए तो माल आदि को या उसके ऐसे किसी भी भाग को जिसे क्रय अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, प्रतिस्थापित करेगा अन्यथा निविदादाता ऐसे नुकसान का भुगतान करेगा जो इसमें समाविष्ट शर्त के भंग के कारण उत्पन्न हो। इस संविदा के अधीन या अन्यथा रूप में क्रय अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर इसमें समाविष्ट कोई बात प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
- iv. मशीनरी तथा उपकरणों के मामलों में भी उपर्युक्त खण्ड (3) में वर्णित गारंटी दी जाएगी और निविदादाता, गारंटी कालावधि के दौरान कल पुर्जा, यदि कोई हो, को बदलेगा तथा किसी विनिर्माण दोष को दूर करेगा यदि उपर्युक्त कालावधि के दौरान उसका पता लगे जिससे कि वे दोषपूर्ण पाए जाए और उन्हें विनिर्माण दोष आदि के कारण संचालित नहीं रखा जा सकता। निर्धारित अपवधि में प्रदाय का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। निर्माता के विलम्ब के लिए प्रदायक ही उत्तरदायी होगा।
- v. क्रय अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गयी मशीनरी तथा उपकरण के मामलों में, निविदादाता उन निबन्ध और शर्तों पर जिन पर सहमति हो गयी हो, वार्षिक अनुरक्षण और मरम्मत हेतु उत्तरदायी होगा। निविदादाता मशीनरी और उपकरणों के विनिर्दिष्ट प्रकार हेतु अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जों के पर्याप्त प्रदाय हेतु भी दायी होगा चाहे वे वार्षिक अनुरक्षण हेतु उनसे अतिरिक्त पुर्जे खरीदना चाहे।
14. **निरीक्षण** :—
- i. क्रय अधिकारी या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि समस्त उपयुक्त समयों पर प्रदाय के परिसर में पहुंच सकेगा और उसे समस्त उपयुक्त समयों पर, विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान या उसके पश्चात् जैसा निर्णित किया जाए माल/उपस्कर/मशीनरी की सामग्री और कर्म कौशल का निरीक्षण तथा परीक्षण करने की शक्ति होगी।
- ii. निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम और वर्कशॉप के परिसर का पूरा पता प्रस्तुत करेगा जहां निरीक्षण किया जाता है और संबंधित व्यक्ति का नाम और पता भी प्रस्तुत करेगा जिससे इस प्रयोजनार्थ सम्पर्क किया जाता है। उन डीलरों के मामलों में जो कारोबार में नवीन रूप से प्रविष्ट हुए हैं उनके बैंकर से परिचय पत्र आवश्यक होगा।







15. नमूने:- निर्धारित प्रपत्र मे अंकित वस्तुओं हेतु निविदाओं के साथ निविदा वस्तुओं के दो पैकेट मे नमूने होंगे। एक पैकेट मे विभिन्न खेलों की खेल गणवेश (टी-शर्ट, नेकर एवं सोक्स सहित) एवं दूसरे पैकेट मे ट्रेकसूट के नमूने होंगे।
16. प्रत्येक नमूनों को उपर्युक्त रूप से अंकित किया जाएगा चाहे नमूनों पर लिखकर या पर्चों पर लिखकर टिकाऊ कागज पर लिखकर नमूनें पर सुरक्षित रूप से चिपकाया जाएगा। उसमें निविदादाता का नाम और मद का क्रमांक जिसका वह अनुसूची में नमूना है, अंकित होंगे।
17. अनुमोदित नमूने संविदा की समाप्ति के पश्चात् छः (Six) मास की कालावधि तक निःशुल्क रखे जायेंगे। विश्वविद्यालय इन नमूनों के रखे जाने की कालावधि के दौरान किसी नुकसान टूट-फूट या जो निरीक्षण के दौरान हुयी किसी हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। कालावधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूने वापिस ले लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार से नमूनों को लौटाने हेतु प्रबन्ध नहीं किया जायेगा। संविदा की समाप्ति के 9 के माह भीतर वापस न लिए गए नमूनों का समाहरण विश्वविद्यालय द्वारा कर लिया जाएगा और उनके मूल्य आदि हेतु कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।
18. अनुमोदित न किए गए नमूने विफल निविदादाता द्वारा वापस ले लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय इन नमूनों के प्रतिधारण काल के दौरान किसी जांच परीक्षण किए जाने के संबंध में होने वाले किसी नुकसान टूट-फूट या हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। वापस न लिए गए नमूनों का समपहरण हो जाएगा तथा उनके मूल्य आदि के संबंध में कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।
19. यह प्रदाय प्राप्त हो तो वे यह सुनिश्चित किए जाने हेतु निरीक्षण के अध्यक्षीन होंगे कि वे विनिर्देशों के या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जब आवश्यक हो या विहित हो या व्यवहार्य हो तो परीक्षण इसी प्रकार के संस्थानों में प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों से परीक्षण के फलस्वरूप विहित विनिर्देशों के मानक के अनुरूप हो।
20. नमूने लिए जाना- परीक्षण के मामलों में नमूने निविदादाता की या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में लिए जाएंगे और उन्हें उनकी उपस्थिति में समुचित रूप से सील किया जाएगा। ऐसा एक सेट उन्हें दिया जाएगा। एक या दो प्रयोगशाला या परीक्षण गृह को भेजे जाएंगे तथा तीसरा चौथा अधिकारी द्वारा संदर्भ और अभिलेख हेतु रख लिया जाएगा।
21. परीक्षण व्यय- परीक्षण व्यय का वहन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। यदि निविदादाता द्वारा अविलम्ब परीक्षण की व्यवस्था किए जाने हेतु इच्छा व्यक्त की जाती है या परीक्षण परिणाम यह दर्शित करे कि नमूने विहित मानकों या विनिर्देशों अनुरूप नहीं है तो परीक्षण व्यय निविदादाता द्वारा संदेय होगा।
22. अस्वीकृत किया जाना:-
 - i. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गई वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हें क्रय अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदादाता अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा।
 - ii. तथापि, यदि कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पूर्णतः या अशर्त साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों की अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों से उपयुक्त रकम की कटौती कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।
23. अस्वीकृत की सूचना के 15 दिनों के भीतर, अस्वीकृत वस्तुएँ निविदादाता द्वारा हटा दी जाएगी उसके पश्चात् क्रय अधिकारी किसी नुकसान, कमी या हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा और अधिकार होगा कि वह निविदादाता की जोखिम पर और उक्त कारण से ऐसी वस्तुओं का निपटारा उस नीति से करावें जिसे वह उपयुक्त समझे।
24. निविदादाता इस बात हेतु उत्तरदायी होगा कि वह समुचित पैकिंग करे जिससे कि रेल या सड़क द्वारा परिवहन की सामान्य परिस्थितियों में होने वाले नुकसान को टाला जा सके और गतव्य पर प्रेषित को अच्छी दशा में सामग्री की सुपुर्दगी हो सके। किसी हानि नुकसान टूट-फूट या लीकेज या किसी भी कमी की स्थिति में निविदादाता द्वारा प्रेषित सामग्री के किए गए परीक्षण निरीक्षण में पाई गई किसी ऐसी हानि और कमी की पूर्ति करने हेतु दायी होगा। इस कारण कोई अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।
25. प्रदाय के ठेके को क्रय अधिकारी द्वारा किसी भी समय निराकरण निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने तथा निराकरण हेतु कारण अभिलिखित करने के पश्चात् किया जा सकेगा। अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।
26. निविदादाता की या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पक्ष प्रचार निरर्हता होगा।
27. निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी उसकी दरें एक वर्ष के लिये मान्य होगी। उक्तानुसार स्वीकृत दरों पर वर्ष भर विश्वविद्यालय के आदेशानुसार सामग्री की सप्लाई करनी होगी।
 - i. मात्रा की सीमा पुनरादेश यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के आदेश दे दिए गए है तो भी निविदादाता अपेक्षित प्रदाय की पूर्ति हेतु आबद्ध होगा। निविदा मे दी गयी दरों और इस पर पुनरादेश भी दिया जा सकेगा। यदि पुनरादेश मूलतः क्रय मात्रा का 50 प्रतिशत तक है। कालावधि पिछले प्रदाय की समाप्ति से एक मास से अधिक नहीं है। यदि निविदादाता ऐसी क्रय में विफल रहता है तो क्रय अधिकारी को यह छूट होगी कि वह अतिशेष प्रदाय की व्यवस्था कर निविदा से या अन्यथा रूप से करे और उपगत अतिरिक्त मूल्य निविदादाता से वसूली योग्य होगा।
 - ii. यदि क्रय अधिकारी निविदा वस्तुओं में से किसी वस्तु का क्रय नहीं करता या निविदा वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता किसी भी पूर्ति का क्लेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।



28. बयाना राशि—

- i. निविदा के साथ रूपये 15000/— की बयाना राशि संलग्न होगी जिसके बिना निविदा विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में ड्राफ्ट द्वारा जमा कराई जानी होगी।
 - ii. असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा की अंतिम स्वीकृति पश्चात् वापस कर दी जाएगी।
 - iii. बयाना राशि से छूट:— उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग, विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण—पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के 1/2 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।
 - iv. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बयाना राशि की रकम जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।
 - v. किन्हीं अन्य निविदाओं के संबंध में विभाग कार्यालय में पड़ी हुई बयाना राशि प्रतिभूति निपेक्ष जिनका अनुमोदन या अस्वीकृत प्रतिक्षित है या जो पूरे होने वाले संविदाओं के संबंध में पड़ी हुई है। नवीन निविदाओं हेतु बयाना राशि पर विचार किया जा सकेगा।
29. बयाना राशि का समपहरण— बयाना राशि का निम्नलिखित स्थितियों में समपहरण किया जा सकेगा —
- i. जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
 - ii. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।
 - iii. जब प्रदाय आदेश दिये जाने के पश्चात निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।
 - iv. जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारंभ करने में विफल रहता है।

30. (अ) करार तथा प्रतिभूति निक्षेप:—

- i. सफल निविदादाता को आदेश को प्राप्त होने से 10 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए निविदाएँ स्वीकार की गई है उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
- ii. निविदा के समय जमा कराई गयी बयाना राशि को प्रतिभूति रकम के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। प्रतिभूति रकम किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।
- iii. विभाग द्वारा प्रतिभूति की रकम पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- iv. प्रतिभूति राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट/द्वारा विश्वविद्यालय में जमा कराई जावेगी। प्रतिभूति जमा की राशि संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के तथा निविदादाताओं के विरुद्ध कोई देय बकाया में नहीं होने पर लौटाई जायेगी।

(ब)

- i. निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिभूति राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी।
 - ii. केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति की रकम प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगे।
 - iii. प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण—प्रतिभूति की रकम या निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः समपहरण किया जा सकेगा—
 - (क) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तों को भंग किया जाता है।
 - (ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।
 - (ग) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
 - iv. करार के पूर्ण किए जाने तथा स्टाम्पिंग किये जाने का व्यय निविदादाता द्वारा संदत किया जाएगा और विभाग को करार का सम्यक् रूप से निष्पादित स्टाम्पित प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा।
- 30- i. विवादग्रस्त मद के मामले में 10 से 25 प्रतिशत तक रकम रोक ली जाएगी और विवाद का निपटारा होने पर कर दिया जायेगा।
- ii. उस माल के प्रकरण में संदाय जिसके परीक्षण की आवश्यकता है उसी समय किया जाएगा परीक्षण के लिए प्राप्त परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप पाए जाएं।
31. शर्त :-
- i. निविदा प्रारूप में परिदान हेतु विनिर्दिष्ट समय को संविदा का मूल तत्व समझा जाएगा निविदादाता क्रय अधिकारी से क्रय आदेश की प्राप्ति कर कालावधि के भीतर सप्लाई करेगा।







- ii. निर्धारित नुकसान-निर्धारित नुकसान सहित परिदानर कालावधि की वृद्धि के मामले में जिसका प्रदान करने से निविदादाता विफल रहा है, के मूल्य की निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी।
- iii. (क) विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक का विलम्ब 25 प्रतिशत।
(ख) विहित कालावधि के एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी से अनाधिक कालावधि तक का विलम्ब 5 प्रतिशत।
(ग) विहित कालावधि के आधे से अधिक किन्तु तीन चौथाई से अनाधिक कालावधि का विलम्ब 7.5 प्रतिशत।
(घ) विहित कालावधि के तीन चौथाई से अधिक की कालावधि का विलम्ब 10 प्रतिशत।
- iv. प्रदाय में विलम्ब की गणना करते समय दिन के भाग की अवहेलना कर दी जाएगी यदि वह आधे दिन से कम हो।
- v. निर्धारित नुकसान की अधिकतम रकम 10 प्रतिशत होगी।
- vi. यदि किसी बाधा के कारण संविदात्मक प्रदान पूर्ति में प्रदायक समय की वृद्धि चाहता है तो वह उक्त प्राधिकारी को बाधा के घटित होते ही उसके लिए लिखित में तुरन्त आवेदन करेगा जिसने प्रदाय आदेश दिया है कि किन्तु प्रदाय की पूर्ति की नियत तारीख के पश्चात् नहीं।
- vii. यदि माल के प्रदाय में विलम्ब की निविदादाता के नियंत्रण में परे बाधाओं के कारण हो तो परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना बढ़ाया जा सकेगा।
32. वसूलिया निर्धारित नुकसान न्यून प्रदाय, टूट-फूट अस्वीकृत वस्तुओं के संबंध में वसूलियां रोकी जा सकेंगी और यदि प्रदायक संतोषजनक रूप से वस्तुओं को बदलने में विफल रहता है निक्षेप की जाएगी। यदि वसूलियां संभव न हो तो राजस्थान लोक पीडीआर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
33. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधिक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
34. निविदादाता करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
 - i. भागीदारी फर्मों के मामले में भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि।
 - ii. यदि फर्म फर्मों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत हो तो रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और रजिस्ट्रीकरण का वर्ष।
 - iii. एक मात्र स्वत्याधारित की दिशा में निवास तथा कार्यालय का पता टेलीफोन संख्याक।
 - iv. कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार प्राप्त जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण।
35. संविदा के विपणन अर्थ तथा भंग के संबंध में संविदा से कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबन्ध प्रकरण द्वारा विभागाध्यक्ष का विदित किया जाएगा जो अपने ऐसे वरिष्ठ अधीनस्थ की एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा जो इस संविदा से संबंध नहीं होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
36. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा बीकानेर में ही स्थित न्यायालय में संस्थित की जाएगी अन्यत्र नहीं।
37. आई.एस.ओ. प्रमाण-पत्र पत्रधारी निर्माताओं की सामग्री को प्राथमिकता दी जावेगी।
38. कोई भी सामग्री क्रय समिति द्वारा नमूना भौतिक रूप से अवलोकन कर अनुमोदन के उपरान्त ही मंगवाई जावेगी।






निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सैलिंग/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

संलग्न:- उक्तानुसार



निविदादाता के हस्ताक्षर



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत

अनुलग्नक-“अ”

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, -

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा;
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,-

- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;
- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।


Yashraj Jaiswal


निविदादाता के हस्ताक्षर



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर-334004(राजस्थान) भारत

अनुलग्नक "ब"

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक.....दिनांक.....के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अंतर्गत यह घोषणा करते हैं कि

01. मैं/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते हैं ।
02. मैं/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते हैं ।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत तीन वर्षों में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रक्रिया से निष्कासित नहीं किया गया है ।
05. मैं/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो ।

स्थान :

तारीख :

निविदादाता के हस्ताक्षर



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004(राजस्थान) भारत

अनुलग्नक "स"

निविदा प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपील अधिकारी का पद एवं पता.....कुलसचिव महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

द्वितीय अपील अधिकारी का पद एवं पता.....कुलपति महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में हे तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व -अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा:

परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया है:

परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वितिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वितिय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है ।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा - 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित हे तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा ।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा ।

अर्थात:

क: उपापन की आवश्यकता का अवधारण

ख बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध

ग. यह विनिश्चय की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं

घ. निबन्धनों में उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण

ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।

4. **अपील का प्ररूप.**— (1) धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं ।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी ।



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004(राजस्थान) भारत

- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. अपील फाइल करने के लिए फीस.-

- (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।


6. अपील के निपटारे की प्रक्रिया.-

- (1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,-
 - (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
 - (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।





निविदादाता के हस्ताक्षर





महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर-334004(राजस्थान) भारत

प्ररूप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील
का ज्ञापन

..... की अपील सं.

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

(i) अपीलार्थी का नाम :

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii)

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके

विरुद्ध अपील की गयी है और

अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम,

जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि

संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के

उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी

विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे

अपीलार्थी व्यथित है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा

प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता

है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों

और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

.....

.....

..... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना :

.....

स्थान :

तारीख :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर